CHILD PROTECTION POLICY

(बाल सुरक्षा नीति)

Multi Art Association

H.No - 153/A/1, Street- Bhudhandih, Near, Bazar samiti,
Sudna, Daltongnaj, Palamu, Jharkhand

E-mail . maa.palamu@gmail.com, www.maango.org

विषय सूचि

क्रम. सं	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संस्था मल्टी आर्ट एसोसिएशन (संक्षिप्त जानकारी)	2-3
2	दस्तावेज का उद्देश्य	3-4
3	संस्था के बाल संरक्षण नीति का कार्यक्षेत्र	4-6
4	प्रक्रियाएं और दिशा –निर्देश • भर्ती • प्रेरण और प्रशिक्षण • व्यवहार प्रोटोकॉल • कार्यक्रम योजना निर्माण • सम्प्रेषण और फोटोग्राफ संबंधी प्रोटोकॉल • समझौता ज्ञापन/ एकरारनामा • बाल संरक्षण समिति	6-13
5	निष्कर्ष	13

MULTI ART ASSOCIATION
Office
PALAMAU-822101

दस्तावेज नियंत्रण

संस्करण संख्या : गैर सरकारी संस्था – 02

बोर्ड द्वारा अनुमोदन तिथि :– 19 जून 2024 जैसा कि बैठक पंजी में दर्ज किया है।

जारीकर्ताः सचिव, मल्टी आर्ट एसोसिएशन

प्रभावी तिथि :– 19 जून 2024

प्रभावी : यह दस्तावेज जारी किए गए तिथि से तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक की इसे बोर्ड के द्वारा संशोधन हेतु प्रस्तावित न किया जाए। तीन वर्ष के बाद बोर्ड इसे प्रस्ताव पारित कर पुनः सत्यापित कर सकती है।

संशोधन प्रक्रिया : दस्तावेज में किसी भी तरह का बदलाव अथवा परिवर्तन किया जाता है तो इसके समायोजन पूर्व बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। सभी सं ोधनों को नये दस्तावेज में एकीकृत किया जाएगा और तत्पश्चात इसे जारी किया जाएगा।

<u>प्रस्तावना :–</u>

संस्था का पता :– मल्टी आर्ट एसोसिएशन मकान संख्या -153/1/ A, मुहल्ला – बुधनडीह, नियर बाजार समिति सुदना डालटनगंज पिन :– 822102

<u>बोर्ड के सदस्य</u> :

1. जीतेन्द्र सिंह (अध्यक्ष)
2. मिथिलेश कुमार (सचिव)
3. जेम्स हेरेंज (कोषाध्यक्ष)
4. सुभास लोहरा (कार्यकारी सदस्य)
5. अंजना ग्रेस हुहर (कार्यकारी सदस्य)
6. तागरेन केरकेट्टा (कार्यकारी सदस्य)
7. बीरेंद्र कुमार पासवान (कार्यकारी सदस्य)

MULTI ART ASSOCIATION Office PALAMAU-822101

घोषणा

संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

(क) इस संस्था का मुख्य उदेश्य समाज के दबे ,कुचले पिछड़े असहाय ,अपंग, अनुसूचित जाति, आदिवासी, महिलाएं, बाल मजदुर, वृद्ध की व्यक्तिगत, पारिवारिक ,सामाजिक आर्थिक ,नैतिक एवं शैक्षणिक स्थिति को उन्नत करना एवं सुधारना हैं.

(ख) देशभर मे अनेक तरह की कलाओ को एक मंच पर लाकर विलुप्त हो रहे कलाओ का तथा अन्य सभी कलाओ का संरक्षण ,संग्रह ,विकास प्रशिक्षण,पोषण , संवर्धन करना | जाति ,लिंग ,धर्म ,भाषा ,ऊंच नीच ,आदि भेदभाव एवं अंधविश्वास ,कुरीति ,निरक्षरता बेरोजगारी ,,अन्याय ,हिंसा शोषण एवं गरीबी को मिटाकर सामाजिक एकता ,समानता ,सदभावना ,प्रेम ,भाईचारा एवं सामाजिक न्याय के आधार पर शोषण विहिन धर्म निरपेक्ष,संगठित समुन्नत स्वास्थ, शिक्षित,उद्यमी एवं समृद्ध समाज को शिक्षित करना |

संस्था का परिचय

यह एक गैर सरकारी संगठन है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI ,1860 अधिनियम के तहत पंजीकृत है, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। हमारा उद्देश्य कमजोर और वंचित समुदाय का आर्थिक एवं सामाजिक विकास **करना है** ।

इस दस्तावेज का उद्देश्य :-

यह नीति दुर्व्यवहार की पहचान करने और उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ–साथ कर्मचारी प्रशिक्षण और देखरेख प्रोटोकॉल में स्पष्ट दिशा–निर्देश देती है। जागरूकता, जवाबदेही और पीड़ितों के आवश्यकतानुसार सहयोग से बाल संरक्षण पर भरोसा बढ़ाना और निरंतर इसमें सुधार भी सुनिश्चित करता है।

हमारा यह बाल संरक्षण नीति का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा और स्वस्थ माहौल प्रदान करना है। संस्था युवाओं और बच्चों को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझता है और सुरक्षित माहौल में विकास करते, परिपक्व होते और भविष्य में आने वाले चुनौतियों को निडरता

MUL ART ASSOCIATION Office PALAMAU-822101

से सामना करते हुए देखना चाहता है। **मल्टी आर्ट एसोसिएशन** बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) और भारत के अन्य अधिनियम जो बच्चों पर होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहारों से संरक्षण के लिए हैं उनका अनुपालन करती है।

3 बाल संरक्षण नीति का क्षेत्र

संस्था यह मानती है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी–अपनी क्षमता के अनुरूप उपलब्धि की प्राप्ति के लिए सुरक्षा और अवसर पाने का अधिकार है। संस्था बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए प्रोत्साहन करने के लिए समर्पित है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संस्था ने बाल संरक्षण नीति को अधिगृहित किया है जो एक मानक, तंत्र और प्रथाओं को स्थापित करती है जिससे बच्चों का संरक्षण और विकास हो।

a. व्यवहारिकता / कवरेज

यह नीति कर्मचारी, कंसलटेन्ट, इंटर्न, स्वयंसेवक, ट्रस्टी, परामर्शी सदस्य और आगंतुक सभी पर लागू होता है। दुकानदार और अन्य हितधारक जो संस्था के किसी कार्यक्रम और बातचीत के माध्यम से संस्था के सम्पर्क में आते हों।

b. बालक की परिभाषाः संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन (अनुच्छेद–1) के अनुसार बच्चा वह है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है।

बाल संरक्षण की परिभाषा

बाल संरक्षण बच्चों को जानबूझकर अथवा अनजाने में हुए नुकसान से बचाने के लिए दर्शन, नीति, प्रणाली और प्रक्रियाओं का वर्णन के लिए वृहत् शब्द है।

बाल उत्पीड़न क्या है?

''बाल शोषण'' या ''दुर्व्यवहार'' का अर्थ है 'सभी प्रकार के शारीरिक और या भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन शोषण, उपेक्षा या लापरवाही से उपचार या व्यवसायिक या अन्य शोशण, जिसके परिणामस्वरूप जिम्मेदारी, विश्वास जैसे रिश्ते के संदर्भ में बच्चे के स्वास्थ्य, अस्तित्व, विकास या गरिमा को वास्तविक या संभावित नुकसान होता है। (डब्ल्यूएचओः1999)

MULTI ART ASSOCIATION Office PALAMAU-822101

दुर्व्यवहार/उत्पीड़न की परिभाषा

यौन उत्पीड़न

एक वयस्क और एक बच्चे के बीच सभी यौन अथवा असहज स्पर्श यौन उत्पीड़न है। जब बच्चों के बीच उम्र में महत्वपूर्ण अन्तर होता है या बच्चों का विकास बिल्कुल अलग परिवेश या उनका शारीरिक बनावट में बहुत फर्क होता है तो बच्चों के बीच यौन स्पर्श भी यौन उत्पीड़न हो सकता है। यौन संतुष्टि के लिए या दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चे का उपयोग करना, यौन उत्पीड़न है। किसी भी गैर कानूनी यौन गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक बच्चे को प्रलोभन, बच्चे को वे यावृति में उपयोग, अ लील प्रद नि और सामग्री आदि में बच्चे का शोषणयुक्त उपयोग, आदि। यदि आप सोचते हैं कि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराना आव यक है।

शारीरिक उत्पीड़न

बच्चे का शारीरिक उत्पीड़न वह है जिसके परिणामस्वरूप बातचीत या बातचीत में कमी से वास्तविक या संभावित शारीरिक नुकसान होता है जो कि अपने माता–पिता या व्यक्ति जिसके पास बच्चे की जिम्मेदारी, शक्ति या भरोसा है। ऐसी घटना एक बार या बार–बार हो सकता है।

भावनात्मक दुर्व्यवहार

भावनात्मक दुर्व्यवहार, बच्चा जिस समाज के सम्पर्क में रहकर बढ.ता है जिसमें उसका सम्पूर्ण स्थायी आयाम एवं भावनात्मक और सामाजिक दक्षताओं के अनुरूप विकास कर सकता है लेकिन उसके अनुरूप अपेक्षित और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करने मे हम असफल रहते हैं तो उसे भावनात्मक दुर्व्यवहार कहते हैं। बच्चे के प्रति ऐसा कार्य भी हो सकता है जो बच्चे के स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास को जबरदस्ती नुकसान पहुँचाने की उच्च संभावना रखता है। ये कार्य जिम्मेदारी, विश्वास या शक्ति के रिश्ते में माता–पिता या व्यक्ति के नियंत्रण में उचित होने चाहिए। कोई भी कार्य जिसमें आंदोलन के पैटर्न को कम करना, बलि का बकरा, धमकी देना, डराना, भेदभाव करना, उपहास करना या शत्रुतापूर्ण या अस्वीकार करने वाले उपचार के अन्य शारीरिक रूपों पर प्रतिबंध शामिल है, दुरूपयोग के तरीके हैं।

MULTI ART ASSOCIATION
Office
PALAMAU-822101

उपेक्षात्मक दुर्व्यवहार

उपेक्षा बच्चे के विकास के लिए अपने सभी क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक विकास और पोषण के लिए प्रदान करने में विफलता है। परिवार या देखभाल करने वाले और प्रक्रिया के लिए यथोचित रूप से उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में सुरक्षित छोड़ने की स्थिति या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। बच्चे को अधिक से अधिक उचित रूप से देखरेख करने और संरक्षण करने में विफलता भी शामिल है।

प्रक्रियाएं और दिशा–निर्देश

भर्ती

मल्टी आर्ट एसोसिएशन के सभी कर्मचारी और स्वयंसेवक सम्पूर्ण और संगठन के निर्धारित मानकों के अनुरूप भर्ती और साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरेंगे। अपना काम शुरू करने से पहले सभी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी।

प्रेरण और प्रशिक्षण

प्रेरण और प्रशिक्षण बच्चों की सुरक्षा के लिए संगठन की प्रतिबद्धता के अन्तर्निहित अंग हैं। हम इस संबंध में आव यक कौशल और समझ विकसित करने और बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सभी नए कार्यकर्ता बहाल होने के एक महीने के भीतर बाल संरक्षण नीति की एक कॉपी के साथ इसके मुद्दों पर पूरे दिन के उन्मुखीकरण से गुजरना होगा।

संगठन के कर्मचारी और स्वयंसेवकों के लिए आधे दिन का वार्षिक पुनः प्रशिक्षण पेशेवर विशेशज्ञ के द्वारा कुछ नए अद्यतीत आयामों पर प्र ाक्षण आयोजित किए जाते हैं।

व्यवहार प्रोटोकॉल

ये प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करेंगे कि संगठन के प्रबंधन, कर्मचारी, स्वयंसेवक और आगन्तुक बाल–संरक्षित वातावरण बनाने के लिए अनुकूल व्यवहार को समझें और उसका पालन करें जहा बच्चों की शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्थान और गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा।

MULTI ART ASSOCIATION
PALAMAU-822101

A. बच्चों के प्रति कर्मचारियों का उचित व्यवहार

- प्रत्येक बच्चे की गरिमा का सम्मान करें
- प्रत्येक बच्चे को उसकी विशिष्ट व्यक्तित्व और आचरण/चरित्र के अनुसार विशेष विशेषता और जरूरतों के साथ अद्वितीय बच्चे के रूप में स्वीकार करें।
- बच्चों की मनोवृति को धैर्यपूर्वक अवलोकन करें और बच्चा जहां रहता है उसके स्थानीय संदर्भ के अनुरूप उन्हें समझें।
- बच्चों के प्रति सहानुभूति रखने के बजाय सहानुभूतिपूर्ण बनें।
- बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ–साथ उन निर्णयों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें जो उन्हें प्रभावित करते है।
- जहां तक संभव हो दूसरों की दृष्टि में बच्चों के साथ काम करें।
- बच्चों को कभी कलंकित या अपमानित न करें।
- कभी भी किसी भी बच्चे के साथ यौन संबंध न बनाएं।
- कभी भी ऐसा व्यवहार न करें जो अनुचित या यौन रूप से सक्रिय हो।
- कभी भी किसी बच्चे के साथ अकेले न सोयें।
- बच्चों के सामने कभी भी गंदे शब्द या अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें।
- कभी भी बच्चों को कदाचार या लत के लिए न उकसाएं।
- लड़कियों और लड़कों को पुरूष या महिला कर्मचारियों के साथ काम करने का विकल्प दें जहां लिंग का विचार हो सकता है, जैसे परामर्श या स्वास्थ्य /चिकित्सा जांच।
- कभी भी बच्चे/बच्चों पर व्यक्ति के निर्णयों या विचारों को थोपने की कोशिश न करें, जब उन्हें उसका पालन करना मुश्किल लगता हो।
- बच्चों और संबंधित प्राधिकरण से उनकी अपरिचित छवियों को लेने या प्रिंट या ई–मिडिया में केस स्टडी साझा करने से पहले अनुमति लें।
- केस स्टडी के मामले में, न तो बच्चे का नाम और न ही कोई व्यक्तिगत जानकारी दी जा सकती है जिससे बच्चे की पहचान सहतजा से कर सके।
- कभी भी किसी भी बाल–संवदेनशील घटना या काम के बारे में जानकारी टेलीफोन पर मिडिया को न दें।
- एक बच्चे के बारे में गोपनीय मामलों की रिपोर्ट करने में हमेशा संचार की रेखा का अनुपालन करें।
- बच्चों को उद्देश्य के बारे में सूचित करें और चिकित्सा देखभाल के पहले उनका मार्गदर्शन करें।
- बाल संरक्षण अधिकारी की सहमति के बिना और उसे उद्देश्य के बारे में सूचित किए बिना बच्चों को उनक परिवेश से बाहर कभी न निकालें।

MULTI ART ASSOCIATION PALAMAU-822101

- बाल विकास के लिए सरकारी विभागों के साथ लिंक और नेटवर्क और किसी भी बच्चे के जीवन के लिए दुर्व्यवहार, हिंसा, और खतरों के जवाब में उनके व्यवहार प्रोटोकॉल का पालन करें। सुनिश्चित करें कि यह बच्चे के सर्वोतम हित में किया जाता है।
- बच्चे द्वारा रिपोर्ट किए गए दुर्व्यवहार के मामलों को संवेदनशील रूप से संभालें और बच्चे को बताएं कि यौन शोषण उनकी गलती नहीं है।
- स्थिति की गोपनीयता के साथ साथ कर्मचारियों के साथ चर्चा की गई चीजों की गोपनीयता बनाए रखें।

बच्चों का उचित व्यवहार

- अन्य बच्चों के साथ जानकारी और सीख साझा करें।
- कभी भी किसी अन्य बच्चे पर शारीरिक हमला या यौन शोषण न करें।
- कभी भी किसी बच्चे को न चिढ़ाएं या उनको उपनाम से बुलाएं
- कभी भी दूसरे बच्चे को न धमकाएं
- कभी भी दूसरे बच्चे को उसको अपना सामान देने के लिए जोर जबरदस्ती न करें।
- कभी भी दूसरों की अनुमति के बिना उनकी चीजों का उपयोग न करें।
- कभी अप ाब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग न करें।
- कर्मचारियों के नजर से बाहर किसी अजनबी के साथ न घूमें।
- स्वयं और अन्य सभी बच्चों के साथ आदरपूर्वक और एक अनमोल मनुष्य के रूप में व्यवहार करें।
- संचार के सामान्य सुविधाओं का उपयोग प्रभारियों की अनुमति से करें।
- प्रभारी के पूर्व अनुमति के साथ ही संस्था के किसी कर्मचारी या अभिभावक के साथ खरीदारी करने या किसी अन्य कारण से परिसर से बाहर जाएं।
- कर्मचारियों के अनुमति के बिना कभी भी अजनबियों से कुछ न लें।

आगन्तुकों का उचित व्यवहार

- बच्चों के साथ बातचीत करने से पहले आने के उद्देश्य के बारे में संबंधित प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करें।
- बच्चों के साथ सहानुभूति दर्शाने के बजाय सहानुभूति रखें
- शारीरिक सम्पर्क से बचें, बच्चों के साथ इस तरह का सम्पर्क उनकी उम्र और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होना चाहिए और वयस्क के बजाय बच्चे द्वारा किया जाना चाहिए।

MULTI ART ASSOCIATION Office PALAMAU-822101

- बच्चों से व्यक्तिगत प्रश्न, उनकी स्थिति के बारे में प्रश्न या उन्हें शर्मिन्दा करने वाले प्रश्न पूछने से बचें।
- बच्चों को साथ न ले जाएं।
- केवल संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में बच्चों के साथ बातचीत करें जो अनुमति के साथ और बच्चे की सुविधा के अनुसार प्रक्रिया को फैसिलिटेट करेंगे और निगरानी भी करेंगे।
- बच्चों के साथ और संबंधित प्राधिकारी के साथ पहले सूचित कर सहमति प्राप्त करने के बाद उनसे किसी तरह की जानकारी हासिल करें।
- किसी भी बच्चे को सीधे उपहार न दें।
- बच्चों के आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय भाषा का प्रयोग न करें।
- ऐसे कपड़ें पहनें जो उपयुक्त हो, स्थानीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें बच्चे रहते हैं।
- बच्चों की तस्वीर न लें।
- उन स्थानों पर न जाएं जहां वे कर्मचारियों के साथ रहते हैं।

कार्यक्रम योजना

1. अपनी परियोजना की रूपरेखा उसकी निर्धारित गतिविधियों में शामिल है जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के ढ़ाचे में बाल संरक्षण पर ध्यान केंन्द्रित करता है।

2. बाल कल्याण की दृष्टिकोण से बाल अधिकार दृष्टिकोण की ओर बढ़ने और कार्यक्रम नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में बच्चों (आयु उपयुक्त) को शामिल करने के लिए जानबूझकर परियोजनाओं में कार्यक्र का रूपरेखा तैयार करना।

   कमजोर बच्चों के सामने आने वाले जोखिमों को कम करने और विशेष रूप से दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण की स्थितियों में रहने वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों की योजना निर्माण करें।

3. खतरों/कमजोरियों/मौजूदा उल्लंघनों जैसा दुर्व्यवहार के कारणों को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों को डिजाइन करें और उन प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दें जो बच्चों की भलाई और बाल शोषण, शोषण और उपेक्षा की रोकथाम के लिए जिम्मेदार परिवार और समुदाय का समर्थन करते हैं।

MULTI ART ASSOCIATION
Office
PALAMAU-822101

संचार और फोटोग्राफी प्रोटोकॉल

इन प्रोटोकॉल को बच्चों के बारे में गोपनीय जानकारी को नियंत्रित करने और प्रकाशनों के माध्यम से बच्चों की अपमानजनक छवियों की प्रस्तुति को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

- वैसी तस्वीरों जिनकी पहचान नहीं की गई हों उन्हें खींचने से पहले संबंधित प्राधिकारी और बच्चों से पूर्व अनुमति प्राप्त करें।
- केस स्टडी के मामले में, न तो बच्चे का नाम और न ही कोई व्यक्तिगत जानकारी जिससे बच्चे की पहचान होती हो, खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
- बाल दुर्व्यवहार रिपोर्टिंग में बच्चों के सटीक शब्दों का प्रयोग करें।
- कर्मचारियों और बच्चों द्वारा दिए गए बयानों का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
- मीडिया केवल संगठन/ईकाई प्रमुख या प्रमुख द्वारा नियुक्त अथवा नामित कर्मचारियों के साथ ही बातचीत करेगा।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चों पर चित्र/कैप्शन के रूप में सभी संचार सामग्री सभ्य, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक हैं, और बच्चों को पीड़ितों के रूप में पेश नहीं करेंगे। न ही बच्चे की कीमत पर गरीबी को बढ़ा–चढ़ाकर पेश करेंगे/ग्लेमराज करेंगे।
- सुनिश्चित करें **अभिभावक** की औपचारिक अनुमति के बिना बच्चों की स्कैन की गई तस्वीरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। परियोजना के लिए जिम्मेदार कार्यालय और बच्चे के माता–पिता/अभिभावक से लिखित अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं में बच्चे के स्थान की पहचान उजागर होने वाली उनकी व्यक्तिगत और भौतिक जानकारी का उपयोग **सोशल मीडिया** वेबसाइटों या किसी अन्य में नहीं किया जाना चाहिए।
- समझौता ज्ञापन /समझौतेः ... का सभी समझौता ज्ञापन /संविदाओं में हमेशा CPP एक भाग होगा।

बाल संरक्षण समिति

मल्टी आर्ट एसोसिएशन **बाल संरक्षण समिति में कम–से–कम चार सदस्य होंगे**

1. एक बोर्ड का सदस्य
    - **जेम्स हेरेंज**
2. एनजीओ से एक बाहरी व्यक्ति या अन्य क्षेत्र के बच्चों के मुद्दों के विशेषज्ञ

MULTI ART ASSOCIATION Office PALAMAU-822101

- हस्मत रब्बानी

3. एक फील्ड स्टाफ / वरीय कर्मचारी
    - विमल सिंह
4. कमप्लायंस वित प्रबंधक
    - दीपशिखा एक्का

बाल संरक्षण समिति के जवाबदेही और भूमिका

- वर्ष में कम–से–कम तीन बार मिलना
- एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति
- शिकायतों को संभालना, पीड़ित के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करना, रिपोर्ट की गई घटनाओं की जांच करना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना।
- निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिपोर्ट की गई समस्याओं का समाधार करना।
- संगठन की बाल संरक्षण नीति और प्रथाओं का लगातार विस्तारित करना।
- कर्मचारियों, सलाहकारों, इंटर्न, बाहरी हितधारकों, बोर्ड के सदस्यों, सलाहकार समिति के सदस्यों, भागीदारों, आगन्तुकों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
- एक निर्दिष्ट मिनट्स पुस्तिका में समिति की बैठकों के मिनट्स संधारित करना, सभी बैठक एजेंडा और चर्चाओं का दस्तावेजीकरण करना।
- संबंधित दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- बाल संरक्षण के सुधार के लिए वकील की सुविधा करना।
- यदि बाहरी संसाधनों सहित समिति का कोई सदस्य, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो इसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को लाने का सिफारिश प्रबंधन से करना।
- न्यूनतम चार सदस्यों के साथ बाल संरक्षण समिति का गठन करना।
- यदि अनुपस्थिति बनी रहती है तो अध्यक्ष द्वारा पद पर उसकी रूचि की जांच–पड़ताल करना। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो प्रबंधन से उसको हटाने की सिफारिश करना।

MULTI ART ASSOCIATION Office PALAMAU-822101

किसी भी बाल शोषण की घटना के दौरान समिति द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कदम

- नामित समिति के सदस्यों में से एक को भागीदार/बच्चे/साथी कर्मचारी/पीड़ित द्वारा औपचारिक शिकायत प्राप्त होने की सूचना देना।
- भविष्य के जोखिम से पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- अगली सूचना के साथ 8 घण्टे के भीतर शिकायत का जवाब देना।
- शिकायत को मान्य बनाना, यदि शिकायत की प्रकृति के लिए जांच की आव यकता है तो 24 घण्टे के भीतर दोनों पक्षों को अलग–अलग बुलाना।
- अगर प्रारंभिक जांच प्रतिनिधि की गलती साबित करती है तो जांच समाप्त होने तक निलंबन की सिफारिश करना।
- दोनों पक्षों को अपनी ओर से समझाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना। सबूत तलाश करना और बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
- 30 दिनों की अधिकतम सीमा के भीतर पूरी जांच प्रकिया को समाप्त करना और प्रत्येक घटना को गंभीरता से लेने के लिए जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर प्रबंधन को अगले कदम की सिफारिश करना और संगठन में ऐसी घटनाओं की पुनर्रावृति को रोकने के लिए आवश्यक कदम सुझाना।
- उन मामलों की जांच के लिए जिनमें गंभीर जांच, कानूनी हस्तक्षेप की जरूरत हो वहां बाहरी विशेषज्ञ, पुलिस विभाग (जहां आव यक हो) से सहायता लेना।
- इस नीति के दायरे में होने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पूरी सावधानी से निपटना, पीड़ित बच्चे के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना।
- समिति बाहरी दुनिया से सभी व्यक्तिगत विवरणों या घटनाओं की भी रक्षा करना। एकत्र की गई या सुनी हुई किसी भी जानकारी का उपयोग केवल पूछताछ के उद्देश्य से ही करना।

CPP समिति का कार्यकाल और अध्यक्ष/अध्यक्षा

- अध्यक्ष/अध्यक्षता का कार्यकाल एक वर्ष की होगी।
- अध्यक्ष को एक वर्ष के अन्तराल के बाद पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकता है।
- मानव संसाधन प्रतिनिधि को छोड़कर, समिति के सभी सदस्य अध्यक्ष की भूमिका के लिए वर्षवार बारी–बारी से काम करेंगे।
- समिति का कार्यकाल इसकी स्थापना से तीन वर्ष का होगा, जो मौजूदा सदस्यों के फिर से चुनाव या नए सदस्यों को शामिल करने के साथ नवीकरणीय होगा।

MULTI ART ASSOCIATION Office PALAMAU-822101

- यदि समिति का कोई सदस्य इस्तीफा देने का फैसला करता है तो एक महिने का नोटिस अवधि पूरा करना होगा। इस्तीफे के मामले में, अध्यक्ष के पास 30 दिनों के भीतर उन्हें एक उपयुक्त नए सदस्य के साथ बदलने का अधिकार है।
- यदि समिति के किसी सदस्य के खिलाफ कोई घटना दर्ज की जाती है तो वही शिकायत प्रबंधन नियम उन पर भी लागू होंगे।
- अगर समिति के अध्यक्ष के खिलाफ कोई घटना दर्ज की जाती है तो मल्टी आर्ट एसोसिएशन बोर्ड उचित कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए हस्तक्षेप करेगा।

शिकायत हेतु मेल आइडी :– protectionchild612@gmail.com

फोन :– 06562–295286, 9431193202

निष्कर्ष

मल्टी आर्ट एसोसिएशन अपनी बाल संरक्षण नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से बच्चों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन, नीति के दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं के संचालन के साथ काम करने वाली एक समिति की स्थापना करेगा। मल्टी आर्ट एसोसिएशन संगठन बाल संरक्षण नीति के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें प्रत्येक बच्चे की बिना शर्त स्वीकृति लागू करना, उनकी अधिकारों की वकालत करना, यह सुनिश्चित करना कि उनके सर्वोतम हितों को बिना किसी शर्त के प्राथमिकता दी जाए और संरक्षण लोकाचार के समर्थन को शामिल करे जो सभी हितधारकों को स क्त बना सके। इन प्रतिबद्धताओं का दृढ़ता से पालन करके, मल्टी आर्ट एसोसिएशन संगठन एक सुरक्षात्मक और सहायक वातावरण बनाने का प्रयास करेगा जहां हर बच्चे को सम्पूर्ण विकास हो सके।

MULTI ART ASSOCIATION Office PALAMAU-822101

कार्यकारिणी सदस्यों का हस्ताक्षर

क्रम सं	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	जिरेंद्र सिंह	अध्यक्ष	Jitendra Singh
2.	मिथिलेश कुमार	सचिव	Mithilesh Kumar
3.	जेम्स हेरेंज	कोषाध्यक्ष	James Hereij
4.	अंजना ग्रेस हुहर	कार्यकारी सदस्य	Anjana Grace Huhar
5.	बिरेन्द्र कुमार पासवान	कार्यकारी सदस्य	बिरेन्द्र पासवान
6.	सुभाष लोहरा	कार्यकारी सदस्य	सुभाष लोहरा
7.	तागरेन केरकेट्टा	कार्यकारी सदस्य	

MULTI ART ASSOCIATION
Office
PALAMAU-822101